

काम की तारीख

26/2021
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तार
अहकाम जो
हुकम की ता
में जारी हुए

विशाल बगान भन्नेवा

बाद वसु मुनी का प्रार्थना एवं मंगलार्थ
 के साथ तलाक़ा नहीं हुआ है बादा
 काटवावे अन्तर्गत जमाना काबल है
 काबुल किया भी प्रमाण सादर
 मुनी का सिगा तलाक़ा इनके केसा
 नहीं कर सकता है १७ अगस्त
 २०२०। अगस्त २०२० के दिनांक २०/११/२०२०
 को सिगा तलाक़ा काबल रद्द कर लाने
 एवं निमाज काबल करने हेतु आताया
 योग्य तलाक़ा प्रार्थना के प्रस्ताव की
 को उसके हल हिस्से की मुनी को
 निवारण वेपयत कर ले रहे। इसलिये
 किता पाया पैदा होकर बाद काबल हाकूमत
 योग्य है। ऐसी खुराने प्रार्थना के
 हकीकत होगी। अगस्त २०२० को
 पाक-प किया जावे की जबरतन बाद वसु
 मुनी का तलाक़ा नहीं हुआ अन्त
 इसा लख। निमाज नहीं करे। प्रार्थना
 का प्रमाण प्रमाण केस, सुनिधा का
 संग्रह प्रार्थना के पक्ष में है। आताया
 साब प्रमाण एवं पाक-प प्रमाण का
 अन्तर्गत सिगा गण गण अन्तर्गत
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत २०, २०२०
 अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत २१, २०२०
 एवं प्रमाण गण को अन्तर्गत अन्तर्गत
 मुनी है अन्तर्गत अन्तर्गत मुनी मे किता
 काटवावे के अन्तर्गत अन्तर्गत मुनी मे किता
 मुनी का रद्द कर नहीं कर सकता
 है पक्ष में प्रार्थना दिनांक काबल हो चुका
 है



सहायक जज
कार्यपालक
कास

महाराज

17 दिनांक 26/10/21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विश्रांत कानून मंत्रालय

उपरोक्त विवेकन के आधार पर अधिका
अनुमान, प्रथम हस्ता केरु अपूर्ण शक्ति का
संयोजन प्रार्थी के पक्ष में होगा प्रतिकूल
होता है। अतः प्रार्थी पर अस्वभाविक
निष्पत्ति का स्वीकार किया जाना उचित
नहीं होगा।

अतः आवेदन हेतु प्राप्त सौदागम के
खाल में अस्वभाविक अनुमान 28 की
आवकरी संख्या 249, 250, 251 व
अस्वभाविक अनुमान 34 प्रथम 29 की
आवकरी संख्या 235 तथा 248 में
प्रतिवादी संख्या 1 तथा 46 के अंतर्गत
अस्वभाविक निष्पत्ति से प्राप्त किया
जाता है कि मूल वाद का प्रत्यक्ष
के निर्णय होने तक वाद प्रस्ताव मुक्ति
के मांग के एवं विवाद की प्रथा सिद्धि
कानून के अंतर्गत प्रस्ताव अनुमान
होकर मूल वाद के समुचित
है। निर्णय सुनाया गया।

(सोमेश्वर राजावत)

सहायक कलक्टर

सं. 14/10/21

साथी (सं. 1) नवीपुर